राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1059/2019

प्रकाश चन्द्र राजपुरोहित

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भवन, राजस्थान जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, वन जीव, बीकानेर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रशांत खण्डेलवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 28–02–1985 को गेमवाचर (वन रक्षक) के पद अधिनस्थ कार्यालय मंडल वन अधिकारी बीकानेर के अंतर्गत हुई थी। राज्य सरकार द्वारा तृतीय ए.सी.पी. जो अपीलार्थी द्वारा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 28–02–2012 को देय होती थी, जो स्वीकृत नही की गई, जिससे अपीलार्थी को तृतीय ए.सी.पी. के लाभ, परिलाभ, विपक्षीगण द्वारा नही दिये गये। अपीलार्थी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अधिवार्षिक सेवानिवृति दिनांक 31–12–2015 को नियमानुसार हो गयी जिसमें तृतीय एसीपी स्वीकृत नही होने से अपीलार्थी को देय लाभ, परिलाभ, प्राप्त नही हो सका तथा अपीलार्थी को 18 वर्षीय एसीपी के अनुसार सेवानिवृति परिलाभ, ग्रेच्युटी, एवं अवकाश का नकद भुगतान प्राप्त नही हो सका जिसके कारण अपीलार्थी को अपनी सेवाओ का पूर्ण लाभ सेवानिवृति के पश्चात प्राप्त नही हो सका। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को कई बार मोखिक रूप से यह निवेदन किया गया कि वह अपीलार्थी की 27 वर्षीय तृतीय एसीपी निर्धारित कर अपीलार्थी को प्राप्त होने वाले परिलाभ, पेन्शन राशि का डिफरेन्स राशि, ग्रेच्युटी डिफरेन्स, कम्युटेशन पेन्शन डिफरेन्स तथा अन्य परिलाभ दें किन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया। इस संबंध में तत्कालीन उपवन संरक्षक वन्य जीव बीकानेर ने एक पत्र दिनांक 10–12–2015 प्रधा मुख्य वन संरक्षक, को भेजा जिसमें अंकित किया कि अपीलार्थी की 27 वर्षीय एसीपी दिनांक 28–12–2012 को देय है तथा कर्मचारी दिनांक 31–12–2015 को सेवानिवृत होने वाला है किन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा

कोई कार्यवाही नही की गई। इस पर अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार गोसवामी के मार्फत एक डिमाण्ड ऑफ जस्टिस नोटिस प्रत्यर्थीगण को दिनांक 11–08–2018 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. भिजवाया जो प्रत्यर्थीगण को प्राप्त हो गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात प्रत्यर्थागण ने अपीलार्थी की 27 वर्षीय तृतीय एसीपी नही की किन्तु उप वनसंरक्षक वन्य जीव बीकानेर ने एक पत्र दिनांक 28–11–2018 को मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर को भेजा। उसके बावजूद भी अपीलार्थी को 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान स्थिर नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ निर्धारित कर अपीलार्थी को प्राप्त होने वाले समस्त परिलाभ मय ब्याज सहित प्रदान किये जाए।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 28.02.1985 में नियुक्त श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री बंशीराम पद गेम वाचर के जन्म तिथि का हवाला नहीं है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक के अनुसार प्रथम नियुक्ति पर अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि कार्यालय में उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार निजी पत्रावली मैट्रिक सर्टिफिकेट असकी आयु भर्ती के वक्त 29 वर्ष 2 माह 7 दिन थी जो अनियमित नियुक्ति की श्रेणी में आती थी। उक्त अनियमित नियुक्ति को नियमित करने बाबत इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ1()कार्मिक/उवसवजी/2011/1053 दिनांक 04.08.2011 (रजिस्टर्ड) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर को भिजवाया गया व पत्रांक 1053 दिनांक 04.08.2011 1389 दिनांक 11.09.2012, 2025 दिनांक 03.10.2013, 2487 दिनांक 05.12.2013, 98 100 दिनांक 10.01.2014, 431 दिनांक 21.02.2014, 511 दिनांक 04.03.2014, 1335 दिनांक 05.06.2014, 2363 दिनांक 24.09.2014, 1517 दिनांक 27.05.2015, 1689 दिनांक 15.06.2015, 2172 दिनांक 21.07.2015, 2801 दिनांक 06.10.2015, 3559 दिनांक 10.12.2015, 2932 दिनांक 28.11.2018, 3002 दिनांक 13.12.2018, 1373 दिनांक 24.06.2019, 1979 दिनांक 27.08.2019 से स्मरण पत्र भिजवाये गये । राज्य स्तर पर उक्त तरह के अनियमित रुप से नियुक्त कर्मियों के नियमितिकरण के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में श्री प्रकाश चन्द्र राजपुरोहित सुचि में 33 वे नंबर पर थे। वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया की उच्चतम न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष्य में नया परिपत्र कार्मिक विभाग से परिक्षण करवाकर शिघ्र ही जारी किया जा रहा है। इस प्रकार निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में नया परिपत्र जारी होने के उपरान्त ही परिक्षण कर कार्यवाही की जानी है। इस कार्यालय के उपरोक्त पत्रांको द्वारा निवेदन

किया गया परन्तु कार्मिक विभाग द्वारा प्रकरणों के परिक्षण उपरान्त आज दिनांक तक अनियमित नियुक्ति से नियमित नियुक्ति करने बाबत कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया, जिसके अभाव में इनको देय 27 वर्षीय चयनित वेतनमान की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। जिसके जवाब में प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी के मामले में परीक्षण कर कार्यवाही की जानी है।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के मामले का परीक्षण कर 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देय होने के संबंध में आख्यात्मक आदेश पारित करेगा। यदि यह पाया जाता है कि अपीलार्थी 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है तो अपीलार्थी को उक्त लाभ मय समस्त पारिणामिक लाभ के साथ प्रदान किये जाए एवं अपीलार्थी को एरियर की राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज भी अदा किया जाए।
6. इस आदेश की पालना 4 माह में सुनिश्चित की जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)